

21/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाने लगावाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व प्रार्थना पर न्याय हाजरी न्याय घरेली में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार है। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)